रूपसिंह उर्फ रूपा

बनाम

पंजाब राज्य

(आपराधिक अपील सं. 1307/2005)

जून 20, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और जी.एस. सिंघवी, न्यायमूर्तिगण)

साक्ष्यः

परिस्थितिजन्य साक्ष्य- अभिनिर्धारितः दोषसिद्धी परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, किंतु यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून की कसौटी पर परखा जाना चाहिए-दिये गये तथ्यों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धी को यथावत रखते हुए जोर दी गयी परिस्थितियों से, परिस्थितियों की पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध नहीं है जिससे इस संभावना को नकारा जा सके कि अन्य कोई व्यक्ति हमलावर नहीं हो सकता अथवा बिना किसी गलती के इंगित करती हो कि अभियुक्त ही आरोपित अपराधों का दोषी है-अंतर्गत धारा 302/34 और

449/34 भा.द.सं. में दोषसिद्धी को अपास्त किया गया-दंड संहिता, 1860-धारा 302/34 एवं 449/34।

पीडब्लू 7 के साडू के हत्या के लिए अपीलकर्ता के साथ दो अन्य व्यक्तियों को अभियोजित किया गया। मृतक अपने घर में मृत पाया गया। अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। चार कारक जिन पर विचारणीय न्यायालय ने वजन दिया थाः (1) घटनास्थल पर अपीलकर्ता के बांये पैर के निशान मिलना, (2) शराब की बोटल पर उंगली का निशान जो घटनास्थल के पास पाया गया था, अपीलकर्ता की दाहिनी तर्जनी से मेल खाता है, (3) पीडब्लू 2 के समक्ष अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति और (4) पीडब्लू 3 द्वारा तीनों अभियुक्तों को एक साथ देखे जाने की साक्ष्य। विचारणीय न्यायालय द्वारा तीनों अभियुक्तों को भा.द.सं. की अंतर्गत धारा 302/34 और 449/34 में दोषसिद्ध किया गया। अपील पर उच्च न्यायालय ने पीडब्लू 2 और 3 की साक्ष्य को विश्वसनीय और ठोस रूप में नहीं पाया और दो अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया। यह, तथापि, जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है परिस्थितियों की श्रृंखला को पूर्ण माना और उसके अनुसार दोषसिद्धी को यथावत रखा।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारितः

1.1 इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धी केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, लेकिन इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। (पैरा 10) (59-ई)

हनुमंत गोविंद नरगुंडकर और अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य एआईआर 1952 एससी 343; और शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1984 एससी 1622-पर निर्भर था।

1.2 इस न्यायालय द्वारा लगातार यह निर्धारित किया गया है जहां कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, अपराध का निष्कर्ष तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी दोषारोपण वाले तथ्य और परिस्थितियां अभियुक्त की निर्दोषिता या किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साथ असंगत पायी जाए। जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के अपराध का अनुमान लगाया जाता है उन्हें उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और उन परिस्थितियों से अनुमानित किये जाने वाले मुख्य तथ्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ दिखाया जाना चाहिए। (पैरा 5) (57-डी-जी)

हुकमसिंह बनाम राजस्थान राज्य एआईआर 1977 एससी 1063; इराडू और अन्य बनाम हैदराबाद राज्य एआईआर 1956 एससी 316; ईराभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य एआईआर 1983 एससी 446; उत्तरप्रदेश

राज्य बनाम सुखबासी और अन्य एआईआर 1985 एससी 1224; बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1987 एससी 350; अशोक कुमार चटर्जी बनाम एम.पी. राज्य एआईआर 1989 एससी 1890; भगत राम बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1954 एससी 621; सी. चेंगा रेड्डी और अन्य बनाम आंध्रप्रदेश राज्य (1996) 10 एससीसी 193; पडाला वीरा रेड्डी बनाम ए.पी. राज्य और अन्य एआईआर 1990 एससी 79; उत्तरप्रदेश राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव 1992 सीआरएल.एलजे 1104;-पर निर्भर था।

"विल्स सर्कमस्टैंटियल एविडेंस" (अध्याय 6), अल्फ्रेड विल्स-द्वारा संदर्भित।

1.3 हस्तगत मामले में, दो परिस्थितियां-घटनास्थल पर अपीलार्थी के बांये पैर के निशान मिलना और शराब की बोटल पर उंगली के निशान जो घटनास्थल के पास पाया गया था-उच्च न्यायालय द्वारा जोर दिया गया-जब अपीलार्थी की दोषसिद्धी को बनाये रखने के लिए परिस्थितियों की ऐसी पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध नहीं है जिससे इस संभावना को नकारा जा सके कि अन्य कोई व्यक्ति हमलावर नहीं हो सकता अथवा बिना किसी गलती के इंगित करती हो कि अपीलार्थी अभियुक्त ही आरोपित अपराध का दोषी है। अभियोजन पक्ष द्वारा यह दर्शाने वाली कोई साक्ष्य पेश नहीं की है कि प्रश्नास्पद छाप उस समय अस्तित्व में आये जब घटना घटी। उच्च

न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धी को स्थित नहीं रखा जा सकता, अतः अपास्त की जाती है। (पैरा 2, 13-14) (56 एफ; एच; 60 जी-एच; 61 ए-बी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील नंबर 1307/2005

सी.आर.एल. अपील नं. 80-डीबी/2004 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 28.09.2004 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से राणा रनजीत सिंह।

प्रत्यर्थी की ओर से कुलदीप सिंह, आर.के. पांडे, टी.पी. मिश्रा और एच.एस. सांधू।

न्यायालय का निर्णय जिसके द्वारा दिया गया था।

डॉ. अरिजीत पसायत, जे.

1. इस अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को चुनौती दी गयी है, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के साथ धारा 34 और धारा 449 के साथ धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखा गया है

(संक्षेप में 'आईपीसी')। जिन सह-अभियुक्तों को इसी तरह दोषी ठहराया गया था, उन्हें उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया।

2. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः

जरनैल सिंह (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) और उनकी पत्नी नसीब कौर लगभग 12 साल पहले कनाडा चले गये थे, लेकिन 10 अप्रैल, 2001 को जरनैल सिंह की हत्या से लगभग दो महिने पहले दोनों कोटला लौट आये थे। पाला सिंह (पीडब्लू 7) मृतक का साडू नसीब कौर की बहन का पति था। वह भी कोटला के रहने वाले थे। जरनैल सिंह गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर बाघापुराना की ओर जाने वाले रास्ते पर खेतों में बने अपने घर में रहता था। पाला सिंह के अनुसार, वह और जरनैल सिंह रात को जरनैल सिंह के फार्म हाउस पर सोते थे जबकि नसीब कौर अपनी बहन के साथ पाला सिंह के घर में सोती थी।

10 अप्रैल, 2001 की शाम को नसीब कौर और पाला सिंह का बेटा दर्शनसिंह बुखानवाला में जरनैल सिंह की बहन से मिलने गये थे। शाम करीब साढे सात बजे पाला सिंह का पोता जसवन्त सिंह जरनैल सिंह के लिए खाना लेकर उसके घर गया था, लेकिन जरनैल सिंह वहां नहीं था। बाद में लगभग 9 बजे गुरनाम सिंह (पीडब्लू 5) पाला सिंह के पास आये और उन्हें बताया कि किसी ने जरनैल सिंह को चोटें पहुंचाई हैं। गुरनाम

सिंह को इस बारे में अस्सा सिंह से पता चला था, जो जरनैल सिंह के घर पर गार्ड के रूप में कार्यरत था। पाला सिंह गांव के लंबरदार गुरमीत सिंह के साथ जरनैल सिंह के घर गये और देखा कि जरनैल सिंह का शव एक खाट पर पड़ा हुआ है। अस्सा सिंह ने पाला सिंह को बताया कि जरनैल सिंह रात करीब 8 बजे स्कूटर पर घर आया था और करीब आधे घंटे बाद जरनैल सिंह उसके पास आया और उसे बताया कि उसे चाकू मार दिया गया है।

पाला सिंह आंगन में गया और देखा कि जरनैल सिंह की चप्पलें वहां पड़ी हुयी थीं और आंगन से लेकर अस्सा सिंह की खाट तक खून का निशान था, जहां जरनैल सिंह का शव पड़ा था। पाला सिंह तुरंत नसीब कौर और उसके बेटे को लाने के लिए बुकानवाला गए। पाला सिंह के अनुसार, जरनैल सिंह शराब पीने का शौकीन था और दिन के समय भी वह इस आदत में लिप्त रहता था।

इस मामले की शिकायत पाला सिंह ने इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह को की थी और 11 अप्रैल, 2001 को सुबह 6 बजे राजेआना बस स्टैंड पर जांच अधिकारी ने उनका बयान दर्ज किया था। बयान पुलिस स्टेशन, बाघापुराना को भेजा गया था और इसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गयी थी। सुबह 6.30 बजे आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया।

मामले की विशेष रिपोर्ट उसी दिन सुबह 10 बजे न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोगा को प्राप्त हुई।

इसके तुरंत बाद इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह (पीडब्लू 19) घटनास्थल के लिए निकले, जिसका निरीक्षण किया गया और उसके बाद अजायब सिंह और लंबरदार गुरमीत सिंह की उपस्थिति में जांच रिपोर्ट तैयार की गई। इन दोनों गवाहों के बयान भी जांच रिपोर्ट में शामिल किए गए। जांच कार्यवाही पूरी होने के बाद, जरनैल सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसका पोस्टमार्टम दोपहर 12.45 बजे सिविल अस्पताल, मोगा के डॉ. नवराज सिंह (पीडब्लू 4) ने किया।

शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेजने के बाद इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह ने घटनास्थल पर अपनी जांच जारी रखी। उन्होनें मौके से खून से सनी मिट्टी उठाई, जिस चारपाई पर जरनैल सिंह का शव पड़ा था, वहां से खून से सनी रजाई, गद्दा और चादर भी कब्जे में ले ली। जांच अधिकारी ने वास्तव में उपरोक्त वस्तुओं को अलग-अलग कब्जे में लेने से पहले उनके खून से सने हिस्सों को काट दिया था। सीढ़ियों पर रखी 100 एमएल शराब की एक बोटल भी बरामद कर कब्जे में ले ली गई। घटनास्थल पर मिले पैरों के निशानों के तीन फुटप्रिंट सांचे तैयार किये गए। इनमें से एक दाहिने जुते का था और दूसरे दो नंगे पैर के थे। सांचों को अलग से कब्जे

में ले लिया गया। घटनास्थल से एक जोड़ी चप्पल भी बरामद की गई। घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया।

जांच पूरी होने पर, आरोप पत्र दाखिल किया गया और चूंकि आरोपी व्यक्तियों ने अपराध से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ा। विचारणीय न्यायालय ने, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दोषसिद्धी का निर्देश दिया और सज़ा सुनाई। विचारणीय न्यायालय के अनुसार मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था, और दोषसिद्धी दर्ज करने के लिए विचारणीय न्यायालय ने चार कारकों पर विचार किया। वे थे (ए) घटनास्थल पर अपीलकर्ता के बांए पैर के निशान का मिलना, (बी) शराब की बोटल पर उंगली का निशान जो घटनास्थल के पास पाया गया था, अपीलकर्ता की दाहिनी तर्जनी से मेल खाता है, (3) पीडब्लू 2 और 4 के समक्ष अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति वज़ीर सिंह (पीडब्लू 3) द्वारा तीनों अभियुक्तों को एक साथ देखे जाने की साक्ष्य।

उच्च न्यायालय ने पीडब्लू 2 और 3 के साक्ष्य की प्रासंगिकता से संबंधित विचारणीय न्यायालय के निष्कर्षों को स्वीकार नहीं किया। उच्च न्यायालय ने पाया कि यह विश्वसनीय और ठोस नहीं था। हालाँकि, अन्य दो परिस्थितियों पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने सह-अभियुक्त व्यक्तियों को बरी करने का निर्देश देते हुए अपीलकर्ता की दोषसिद्धी को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने कहा कि जहां तक पीडब्लू 2 और 3 का

सवाल है, परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं की, लेकिन जहां तक वर्तमान अपीलकर्ता का सवाल है, यह पूरी है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के निष्कर्ष शंकाओं और अनुमानों पर आधारित हैं और माना गया है कि पीडब्लू 2 और 3 के साक्ष्य अब तक कथित स्वीकारोक्ति, या अभियुक्त व्यक्तियों को पूरी तरह से देखने के लिए अविश्वसनीय है, दोषसिद्धी होने के लिए निर्देश नहीं देना चाहिए।

4. प्रतिवादी के विद्वान वकील- दूसरी ओर राज्य ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।

5. इस न्यायालय द्वारा लगातार यह निर्धारित किया गया है कि जहां कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, अपराध का निष्कर्ष तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी दोषपूर्ण तथ्य और परिस्थितियां अभियुक्त की निदोर्षिता या किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साथ असंगत पाई जाएं। (हुकमसिंह बनाम राजस्थान राज्य एआईआर (1977 एससी 1063); इराडू और अन्य बनाम हैदराबाद राज्य (एआईआर 1956 एससी 316); ईराभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (एआईआर 1983 एससी 446); उत्तरप्रदेश राज्य बनाम सुखबासी और अन्य (एआईआर 1985 एससी 1224); बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (एआईआर 1987

एससी 350); अशोक कुमार चटर्जी बनाम एम.पी. राज्य (एआईआर 1989 एससी 1890)। जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के अपराध का अनुमान लगाया जाता है उन्हें उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और उन परिस्थितियों से अनुमानित किए जाने वाले मुख्य तथ्य के साथ निकटता से जुडा हुआ दिखाया जाना चाहिए। भगत राम बनाम पंजाब राज्य (एआईआर 1954 एससी 621) में यह निर्धारित किया गया था कि जहां मामला परिस्थितियों से निकाले गए निष्कर्ष पर निर्भर करता है, परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए जो आरोपी की बेगुनाही को नकारात्मक कर दे और अपराध को किसी उचित संदेह से परे समाप्त कर दे।

6. हम सी. चेंगा रेड्डी और अन्य बनाम आंध्रप्रदेश राज्य (1996) 10 एससीसी 193 मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय का भी संदर्भ दे सकते हैं, जिसमें यह इस प्रकार देखा गया हैः

> ''परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में, स्थापित कानून यह है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्यों की श्रृंखला में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा

सिद्ध परिस्थितियां केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी बेगुनाही के साथ पूरी तरह से असंगत होनी चाहिए..''

7. पडाला वीरा रेड्डी बनाम ए.पी. राज्य और अन्य (एआईआर 1990 एससी 79) में, यह निर्धारित किया गया था कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका होता है, तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करना होगाः

''(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें सुसंगत और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए;

(2) वे परिस्थितियाँ एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो त्रुटिहीन रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हों;

(3) संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को इतनी पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध आरोपी द्वारा किया गया था और किसी और ने नहीं; और

(4) दोषसिद्धी को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होने चाहिए और अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी भी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होने चाहिए और ऐसे साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होने चाहिए बल्कि उसके निर्दोषता से असंगत होने चाहिए।"

8. उत्तरप्रदेश राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव (1992 सीआरएल.एलजे 1104) में, बताया गया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और यदि जिस साक्ष्य पर भरोसा किया गया है वह दो निष्कर्षों के लिए उचित रूप से सक्षम है, तो आरोपी के पक्ष में एक निष्कर्ष को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है वे पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए और स्थापित सभी तथ्यों का संचयी प्रभाव केवल अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए।

9. सर अल्फ्रेड विल्स ने अपनी प्रशंसनीय पुस्तक ''विल्स सर्कमस्टैंटियल एविडेंस'' (अध्याय 6) में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में विशेष रूप से पालन किए जाने वाले निम्नलिखित नियम बताए हैं:

"(1) किसी भी कानूनी अनुमान के आधार के रूप में कथित तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध और तथ्यात्मक जांच से जुड़े उचित संदेह से परे होने चाहिए; (2) सबूत का बोझ हमेशा उस पक्ष पर होता है जो किसी तथ्य के अस्तित्व का दावा करता है, जो कानूनी जवाबदेही का अनुमान लगाता है; (3) सभी मामलों में, चाहे प्रत्यक्ष साक्ष्य हो या परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसे मामले की प्रकृति स्वीकार करती है; (4) अनुमान को सही ठहराने के लिए अपराध के बारे में दोषारोपण संबंधित तथ्य अभियुक्त की बेगुनाही के साथ असंगत होने चाहिए और उसके अपराध के अलावा किसी भी अन्य उचित परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होना चाहिए, (5) यदि अभियुक्त के अपराध पर कोई उचित संदेह है, तो वह हकदार है दोषमुक्त होने के अधिकार के रूप में।"

10. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धी केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है लेकिन इसे 1952 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

11. हनुमंत गोविंद नरगुंडकर और अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य (एआईआर 1952 एससी 343) में, जिसमें यह इस प्रकार देखा गयाः

यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति की है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पहले पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल सुसंगत होने चाहिए अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना फिर, परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए जो सिद्ध होने के लिए प्रस्तावित परिकल्पना को छोड़कर प्रत्येक परिकल्पना को बाहर कर दें। दूसरे शब्दों में, सबूतों की एक श्रृंखला अब तक पूरी होनी चाहिए ताकि आरोपी की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छूटें और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखाए कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

12. शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (एआईआर 1984 एससी 1622) में, बाद के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। उसमें, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से निपटने के दौरान, यह माना गया है कि यह साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर था कि श्रृंखला पूरी है और अभियोजन में कमी व कमजोरी को झूठे बचाव या दलील से ठीक नहीं किया जा सकता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धी करने

से पहले, इस न्यायालय के शब्दों में पूर्ववर्ती शर्तों को पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। वे हैः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित परिस्थितियों को स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए;

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है;

(3) परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए; और

(5) सबूतों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए ताकि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छूटें और यह दिखाया जाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

13. जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने सही तर्क दिया है कि अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा उजागर

की गई दो परिस्थितियां उन परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला प्रस्तुत नहीं करती हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के हमलावर होने और / या होने की संभावना को खारिज करती है। आरोपित अपीलकर्ता को आरोपित अपराधों के दोषी होने के रूप में इंगित करता है। अभियोजन पक्ष के पास यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि कथित घटना के समय विचाराधीन प्रिंट अस्तित्व में आये थे।

14. इसलिए, हम इस अपील में योग्यता पाते हैं, जिसे स्वीकार किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गयी दोषसिद्धी को कायम नहीं रखा जा सकता। अपीलकर्ता हिरासत में है। जब तक किसी अन्य मामले में हिरासत में रखने की आवश्यकता न हो, उसे तुरंत रिहा किया जाए। जिस सक्षम तरीके से विद्वान न्यायमित्र ने अदालत की सहायत की, उसके लिए हम उनकी सराहना दर्ज करते हैं।

15. अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रदीप कुमार मोदी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।